खंड २ संख्या १२

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर ।)

शुक्रवार, तिथि १३ जून, १९६९ ।

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय में मुद्रित
१९७०

(मूल्य—३७ पैसे ।)

हाट में नाजायज वसूली।

२०६। श्री प्रभुनारायण राय—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) उत्तर भागलपुर के विभिन्न अंचलों में कुल कितने हाट हैं जिनकी बन्दोबस्ती सरकार द्वारा की जाती है;

(२) क्या हाट में आये बिक्री के सामानों पर बट्टी की वसूली की दर भी सरकार द्वारा निर्धारित है;

(३) यदि खंड (२) का उत्तर 'हां' में है तो क्या बन्दोबस्ती के बाद सरकार अंचल कार्यालय हाट या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चार्ट टंगवाती है, जिससे बन्दोबस्ती लेने वाले बट्टी की नाजायज वसूली नहीं कर सकें;

(४) क्या यह बात सही है कि नाजायज वसूली के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में असंतोष व्यक्त हुआ है; अगर हां, तो सरकार अपने चार्ट के खिलाफ चलनेवाली नाजायज वसूली को खतम करने के लिए क्या करने को सोचती है ?

मंत्री, राजस्व विभाग—(१) उत्तर भागलपुर के नौगछिया, गोपालपुर तथा बिहपुर अंचलों में क्रमशः ५, २ एवं ७ कुल १७ हाटों की बन्दोबस्ती सरकार द्वारा की जाती है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है। बन्दोबस्त लेने वाले ठीकेदारों से इस आशय का इकरारनामा भी लिखाया जाता है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित बट्टी ही वसूली करेंगे।

(४) उत्तर अस्वीकारात्मक है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी एक भी शिकायत सरकार के स्थानीय पदाधिकारियों को नहीं मिली है। फिर भी सम्बन्धित पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि यदि किसी बन्दोबस्तदार के विरुद्ध ऐसी शिकायत पायी जाय तो उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाय।

श्री प्रभु नारायण राय—सरकार के जवाब में कहा गया है कि बन्दोबस्ती के बाद सरकार अंचल कार्यालय, हाट या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बट्टी के रेट का चार्ट टंगवा देती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां-कहां लटकाया गया है ?

श्री कैलाशपति सिंह—हाट, बाजार और जो प्रमुख स्थान हैं वहां लटका दिया जाता है। कहां-कहां हैं इसके लिए अलग से सूचना चाहिये।

श्री प्रभु नारायण राय—क्या संबंधित अंचल कार्यालयों में ऐसी सूची लटकायी गयी है ?

श्री कैलाशपति सिंह—बराबर लटकायी जाती है।

श्री प्रभु नारायण राय—है या नहीं, इसे आप स्पष्ट रूप से बतायें। मैं कहता हूं कि सरकार का उत्तर सरासर गलत है। मेरी जानकारी है कि बट्टी की वसूली निर्धारित दर से अधिक की जाती है।

श्री कैलाशपति सिंह—इसकी जांच सरकार करायेगी।

श्री प्रभु नारायण राय—अब मेरा प्रश्न है कि निर्धारित दर से ज्यादा लिया जा रहा है या नहीं, अगर लिया जा रहा है तो क्या इसके लिये वहां पर तनातनी है?

अध्यक्ष—आप प्रश्न को डीफनीट बनाकर पूछें।

श्री प्रभु नारायण राय—मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भागलपुर जिले के बिहपुर अंचल में झंडापुर हाट में पिछले पांच महीने से तनातनी है?

श्री कैलाशपति सिंह—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री प्रभु नारायण राय—अध्यक्ष महोदय वहां हर सप्ताह दो बार हाट लगती है और इनके और इनके अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी वहां जाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

श्री कैलाशपति सिंह—किन्तु सरकार के पास अभीतक ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री प्रभु नारायण राय—अब मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो दर निर्धारित किया है उसे लागू करने के लिए क्या करना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि जहां केस हो गया है क्या उसकी छानबीन करने की सरकार कृपा करेगी?

श्री कैलाशपति सिंह—हां, करेंगे।

श्री कृष्णकांत सिंह—जब केस हो गया है तब तो यह सबजुडिस हो गया, इसकी जांच नहीं हो सकती है।

श्री प्रेम नारायण राय—आपके विकास पदाधिकारी भी वहां गये हैं।

अध्यक्ष—क्या इसके लिये केस भी चल रहा है?

श्री प्रभुनारायण राय—जी हां, १०७ में उनको कोर्ट में हाजरी देने को कहा गया है।

अध्यक्ष—जो मामला कोर्ट के अन्दर है उसमें क्या छानबीन हो सकती है ?

श्री रामानन्द सिंह—अगर गलत प्रोसिक्युशन हो गया है तो सरकार को अधिकार है कि केस को विथड्रा कर ले।

अध्यक्ष—कोर्ट में केस चल रहा है ?

श्री रामानन्द सिंह—कोर्ट में केस चलने पर भी केस के विथड्रा करने का अधिकार सरकार को है। सब-जुडिस मामले पर नहीं कहते हैं लेकिन अगर प्रोसिक्युशन गलत हुआ है तो केस विथड्रा हो सकता है।

अध्यक्ष—वह अलग बात है। माननीय सदस्य लिगल प्रोसिज्योर जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

श्री युवराज—खंड (३) के जवाब में कहा गया है कि बन्दोबस्त लेनेवाले ठीकेदारों से इस आशय का इकरारनामा भी लिखाया जाता है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित बट्टा ही वसूली करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आशय का सर्कुलर जारी करना चाहती है कि हर अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के विधायकों को बन्दोबस्ती के बारे में एक सूची दे देंगे कि कितना कर निर्धारित हुआ है ताकि लोगों को जानकारी हो सके।

श्री कैलाशपति सिंह—यह तो माननीय सदस्य का सुझाव है, सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री राम बालक सिंह—हमारे इलाके में बहुत से हाट हैं और मैं डेफिनेटली जानता हूं कि एक ही आदमी हाट लेते हैं और डिफाल्टर होने पर अपने बेटे, स्त्री और पोते आदि के नाम से ले लेते हैं, इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है या नहीं ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

अर्जित जमीन का मुआवजा।

२०७। श्री राजकुमार पूर्वे—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर खाता नं० २०४, खेसरा नं० १७७३ की ६९ डिसमिल जमीन सरकार द्वारा अर्जित की गई है; यदि हां, तो कब और किस काम के लिए;